112

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 3084-तीन/2014 - विरूद्ध आदेश दिनांक 16 जनवरी, 2012 - पारित व्दारा - तहसीलदार, रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा - प्रकरण कमांक 121 अ-6-अ/1995-96

1- बिजयकुमार पुत्र जगदम्बा प्रसाद शुक्ल
2- श्रीमती शकुन्तलादेवी पत्नि स्व.जगदीशप्रसाद शुक्ल
निवासीगण ग्राम लोंहदवार तहसील रायपुर कर्चुलियान
जिला रीवा, मध्य प्रदेश ----आवेदकगण

विरूद्ध

1- श्रीमती शिवरजुआ पत्नि स्व. ज्ञानदत्त शुक्ल
2- संतोष कुमार पुत्र स्व. ज्ञानदत्त शुक्ल
3- अशोक शुक्ल पुत्र स्व. ज्ञानदत्त शुक्ल
4- बिनोद शुक्ल पुत्र स्व. ज्ञानदत्त शुक्ल
5- श्रीमणि पुत्र रामकुमार शुक्ल
निवासी ग्राम मदनुआ तहसील रायपुर कर्चुलियान
जिला रीवा, मध्य प्रदेश ----अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मोरध्वज सिंह)

आ दे श

(आज दिनांक09-3 -2018 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार, रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के प्र0क0 121 अ-6-अ/95-96 में पारित आदेश दिनांक 16 जनवरी, 2012 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम मदनुआ स्थित भूमि कुल किता 15 कुल रकबा 10.43 ए. पर अभिलिखित भूमिस्वामी की भूमि पर कब्जा अंकित कराने का तहसील न्यायालय में प्रकरण कमांक 121 अ-6-अ/95-96 चला, जिसमें पारित आदेश दिनांक 26-3-97 से आवेदक का कब्जेदार के रूप में कब्जा अंकित करने के आदेश हुये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर कर्चुलियान के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर कर्चुलियान ने प्रकरण कमांक 122 अ-6-अ/

1996-97 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-2-2001 से तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 26-3-97 निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 334/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-4-2009 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुये तहसीलदार के आदेश दिनांक 26-3-97 को यथावत् रखा। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत हुई। राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 650-तीन/09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 6-1-2011 से प्रकरण इस आधार पर निरस्त कर दिया कि इसी भूमि के स्वत्व का विवाद व्यवहार न्यायालय में प्रचलित है एंव व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है जिसके कारण प्रकरण चलाने की आवश्यकता नहीं है।

वाद विचारित भूमियों, मकान आदि के सम्बन्ध में बटवारा एंव स्वत्व घोषणा का वाद क्रमांक 12/ए/2004 मान.प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रीवा के न्यायालय में चला, जिसमें पारित आदेश दिनांक 3-8-2006 से वाद निरस्त हुआ। इस आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, म0प्र0 जबलपुर में अपील क्रमांक 743/2006 प्रस्तुत की गई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 30-9-11 से स्थगन प्रदान किया गया, जिसके आधार पर तहसीलदार, रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के यहॉ प्रचलित प्रकरण क्रमांक 121 अ-6-अ/ 1995-96 में पारित आदेश दिनांक 16 जनवरी, 2012 से निर्णय लिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, म0प्र0 जबलपुर में अपील क्रमांक 743/2006 में पारित आदेश दिनांक 30-9-11 से स्थगन है एंव मध्य प्रदेश शासन भी पक्षकार है जिसके कारण तहसील न्यायालय से प्रकरण का अंतिम निराकरण न करते हुये समाप्त कर दिया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी की प्रचलशीलता पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि जब स्वत्व घोषणा का व्यवहार वाद आदेश दिनांक 3-8-2006 से निरस्त हो चुका है एंव सिविल न्यायालय ने अनावेदकगण का वादोक्त भूमि में स्वत्व नहीं माना है तथा राजस्व

मण्डल में निगरानी आदेश दिनांक 6-1-11 से इस आधार पर निराकृत हुई है कि प्रश्नाधीन भूमियों के सम्बन्ध में सिविल सूट चल रहा है जब सिविल सूट निरस्त हो चुका है एंव अनावेदकगण का वादोक्त भूमि में स्वत्व नहीं माना गया है, तहसील न्यायालय को तद्नुसार कार्यवाही करना चाहिये थी, क्योंकि मान0उच्च न्यायालय से धारा 178 के बटवारे के प्रकरण का स्थगन है कब्जा दर्ज करने वावत् स्थगन नहीं है किन्तु इस पर विचार नहीं किया गया है। उन्होंने निगरानी में सुनवाई करने की प्रार्थना की।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि भले ही प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रीवा के न्यायालय से स्वत्व एंव बटवारे का प्रकरण क्रमांक 12/ए/2004 निर्णय दिनांक 3-8-2006 से निरस्त हुआ है, किन्तु वाद विचारित भूमियों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, म0प्र0 जबलपुर से अपील क्रमांक 743/2006 में पारित आदेश दिनांक 30-9-11 से स्थगन है वह भी वाद विचारित भूमियों के सम्बन्ध में है जिसके कारण वाद विचारित भूमि के अभिलेख में फेर-बदल अथवा सॅशोधन नहीं किया जा सकता। माननीय उच्च न्यायालय से उक्तांकि अपील प्रकरण में जो भी आदेश होंगे, आवेदकगण एंव अनावेदकगण पर बंधनकारी होने के साथ साथ राजस्व अधिकारियों पर भी पालन के लिये बंधनकारी रहेंगे, जिसके कारण तहसीलदार, रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 121 अ-6-अ/1995-96 में पारित आदेश दिनांक 16 जनवरी, 2012 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी प्रचलन-योग्य न पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार, रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 121 अ-6-अ/1995-96 में पारित आदेश दिनांक 16 जनवरी, 2012 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर